



Neutral Citation No.-2026:AHC:63689

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9882 वर्ष 2026

धर्मेद्र

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : संजय कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य-प्रत्यर्थीयों के विद्वान ए.जी.ए. श्री शिव दत्त शुक्ला को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत आवेदक धर्मेद्र की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 35/2026 में यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत थाना कोतवाली नगर, जिला मुजफ्फरनगर पंजीकृत किया गया है, में परीक्षण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उन सभी चार मामलों में जमानत पर है जो उसके विरुद्ध गैंग चार्ट में दिखाए गए हैं, उपरोक्त मुकदमे के अलावा, आवेदक एक अन्य मामले पर भी जमानत पर है। आवेदक, जो 30.1.2026 से जेल में बंद है, ने वचन दिया है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में भारी संख्या में मुकदमों की लंबितता के मद्देनजर, परीक्षण के शीघ्र समापन की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।

5. आवेदक गैंग चार्ट में उसके विरुद्ध दर्ज किए गए चार मामलों में जमानत पर है, उपरोक्त मुकदमे के अलावा, आवेदक एक अन्य मामले में भी जमानत पर है। आवेदक दिनांक 30.1.2026 से जेल में बंद है।

6. अभिलेख से परिलक्षित तथ्यों, प्रकृति और साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

7. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक-धर्मेन्द्र को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत अनुबंध के रूप में 50,000/- रुपये और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए: -

(1) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके ।

(2) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(3) आवेदक, व्यक्तिगत रूप से, विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले को शुरू करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बीएनएसएस की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर उपस्थित रहेगा।

(4) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(5) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, विचारण न्यायालय साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

मार्च 24, 2026

कुमार मनीष